

24/10/17

वकुलाय उपर। शेली वकील बहस को समग्र
याहते हैं पत्रावली वाले बहस दिनांक 30/10/17
को पद दे।

म

30/10/17

वकुलाय उपर। शेली वकील बहस को समग्र
याहते हैं पत्रावली वाले बहस दिनांक 1/11/17
को पद दे। पुनश्च: उभयपक्ष बहस हुई जी।
पत्रावली वाले बहस दिनांक 10/11/17 को पद दे।

11/17

वकुलाय उपर। पत्रावली शेली वकील
पेश हुई। वरीय अधीनस्थ की बहस
अधीनस्थ विरुद्ध किना साक्ष्य लिपि पारित
किया गया है कि साक्ष्य पारित नहीं किया
गया है। खिलमख के साक्ष्य हेतु साक्ष्य
पत्र पेश किया गया है किने जातकारी
का अभाव होगा तब तक किया गया है।
व्याज के वरीय साक्ष्य के अधीनस्थ
के बहस के जातकारी होना बताया है
कि किना साक्ष्य सही होना तब तक किया है
अंत एक आधार पर अधीनस्थ विरुद्ध
पेश होना बताया है।
बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली
के अभाव में तब तक होला है कि
अधीनस्थ अधीनस्थ दिनांक की अधीनस्थ

म

में भी यथाकार है जो अन्दर फाई
पेश की गई है एनी दशा के अजीमाके
का जानकारी के अभाव का सिद्ध
तथ्यों के विपरीत बहरत है अतः
आदेश है कि अजीम अजीमाके
मयाद बाहर होने के आधार पर
खासिज की जाती है।

आदेश हुआ गया।

पूत्रावली फलतु मुकर लेकर नम्बर
से काम की जावे एवं बाद तारीख
तकनीक डाखिल दफ्तर रहे

जे. ए. नयुलिया
राज्य अजीम अधिकारी
बालपुर (राज.)